

बिहार सरकार,  
श्रम संसाधन विभाग


।। अधिसूचना ।।

पटना-01, दिनांक-31/10/19

संख्या-1/प्रशि०स्था०-12/2019 श्र०सं०.....206...../श्रीमती अमृता, प्राचार्य, महिला औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, हाजीपुर, वैशाली (अतिरिक्त प्रभार, प्राचार्य, औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, महुआ, वैशाली) बीमारी के कारण दिनांक 26.8.19 से 30.11.19 तक उपाजित अवकाश का अभ्यावेदन दे कर छुट्टी पर प्रस्थान कर गयी हैं।

2. कार्यहित में श्रीमती अमृता के अवकाश अवधि में महिला औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, हाजीपुर, वैशाली एवं औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, महुआ, वैशाली का अतिरिक्त प्रभार श्रीमती विजय लक्ष्मी, प्राचार्य, औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, हाजीपुर को दिया जाता है।


बिहार राज्यपाल के आदेश से,

  
(सूर्यकान्त मिश्र)

सरकार के उप सचिव।

ज्ञापांक-1/प्रशि०स्था०-12/2019 श्र०सं०.....206...../ पटना-01, दिनांक-31/10/19

प्रतिलिपि : अधीक्षक, राजकीय मुद्रणालय, गुलजारबाग, पटना को बिहार राजपत्र में प्रकाशनार्थ/महालेखाकार, बिहार, पटना/प्रभारी पदाधिकारी, वित्त (वै०दा०नि०को०) विभाग, बिहार, पटना/कोषागार पदाधिकारी, संबंधित कोषागार/मा० मंत्री, श्रम संसाधन विभाग के आप्त सचिव/अपर मुख्य सचिव के आप्त सचिव, श्रम संसाधन विभाग, बिहार, पटना/निदेशक, नियोजन एवं प्रशिक्षण, बिहार, पटना/बिहार औद्योगिक प्रशिक्षण सेवा के सभी पदाधिकारी/अधिसूचना में नामित सभी पदाधिकारी/मुख्यालय स्थित सभी पदाधिकारी/आई०टी० मैनेजर, (विभागीय वेबसाईट पर प्रकाशनार्थ) श्रम संसाधन विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

  
31/10/19

सरकार के उप सचिव।